न्यायालय नायब तहसीलदार भकरी मौलास (नागौर)

राजस्थान सरकार
जरिये पटवार हल्का भकरी

वहक श्री अयूबखां
पुत्र श्री उम्मेदखां
जाति देशवाली नि. हरसौर

मुकदमा नं. 24 / 2018

राज. भू. राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91

निर्णय दिनांक 24/9/18

प्रकरण का संक्षिप्त में सार निम्नवत है कि ग्राम भकरी मौलास खसरा नम्बर 1021 रकबा 0.97 हैक्टर किस्म ग.मु.मगरा (राजकीय भूमि) पर संवत 2075 में श्री अयूबखां पुत्र श्री उम्मेदखां जाति देशवाली निवासी हरसौर (जिसे आगे अप्रार्थी कहा गया है) द्वारा बाजरी की फसल कर अतिक्रमण किये जाने पर पटवारी हल्का अर्न्तगत अप्रार्थी के विरूद्ध कार्यवाही किये जाने हेतु रिपोर्ट प्रस्तावित की।

पटवारी हलका द्वारा प्रस्तुत द्वारा प्रस्तुत अप्रार्थी के विरूद्ध प्रस्तावित रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण दर्ज किया जाकर अप्रार्थी को राज. भू–राजस्व अधिनियम की धारा 91 के अर्न्तगत नोटिश जारी कर तलब किया गया। तलबी पर अप्रार्थी का नोटिस तामिल हुआ प्रार्थी हुआ जो शामिल मिसल है। अप्रार्थी स्वयं उपस्थित होकर किसी प्रकार का जवाब प्रस्तुत नहीं किया है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। पटवारी हल्का द्वारा ग्राम भकरी मौलास ख.न. 1021 रकबा 0.97 किस्म ग.मु.मगरा पर संवत 2074 में बिना विधिक अधिकार के अनाधिकृत नाजायज रूप से राजकीय भूमि पर बाजरी की फसल कर अतिकमण किये जाने पर अप्रार्थी को अतिकमी घोषित किया जाता है।

अतः प्रकरण में आदेश दिये जाते हैं कि :–

(1) अतिकमी को आरजी राज से बेदखल किया जाकर कब्ज वहक सरकार लिया जावे।

(2) लगान दर रूपया 6 रु. प्रति हेक्टर का 50 गुणा रूपया 291/- (रूपये दो सौ इक्यानवे रुपये) शास्ति कायम की जाती है।

कियान्विती हेतु पटवारी हल्का भकरी निर्णय की नागौर एवं तहसील राजस्व लेखाकार को पालनार्थ आदेश जारी किये जाये। भू. अभिलेख निरीक्षक

पत्रावली निर्णित शुमार होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 24/9/18 का सरे इजलास सुनाया।

नायब तहसीलदार भकरी मौलास (नागौर)

2018-19
पीठ ज. नं. ..... पृष्ठ सं. 54
पत्र प्रा. पृ. 291/- ..... रु. की
नं. की गई।

तहसील राजस्व लेखाकार

Scanned by CamScanner